


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ..... शिवमेश ..... बनाम ..... सुरेन्द्र .....  
 किरम मुकदमा ..... 212 R.P. Act ..... मु०न० ..... 57 ..... सन 2022

तारीख हुक्म ..... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

31.03.2022

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दरतावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगणआगामी पेशी दिनांक 02.05.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ०ख०न० 199/0.0506, 200/0.0632, 241/1.3910, 298/0.2150, 301/0.2655, 302/0.2655, 305/0.5437, 307/0.5184, 309/0.5817, 439/231/0.0759, 362/0.4173 वाके ग्राम रोणीजा तह० कोटकासिम जिला अलवर राज० मे प्रार्थी के हक हिस्से तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नहीं करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 02.05.2022 को पेश हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कोटकासिम

02/05/22 पत्रावली पेशा वकील वाडी उफर वाडी मय मय  
 वाड पत्रावली काज 0982 CPC के मय मय वी उफर  
 इ मय मय मय वाडी मय इय जयपण की उफर  
 का मय मय मय मय मय मय मय मय मय मय  
 CPC के मय मय डि जाली मय मय मय मय मय  
 मय मय मय मय मय मय मय मय मय मय  
 उफर मय मय मय मय मय मय मय मय मय मय  
 मय मय मय मय मय मय मय मय मय मय  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कोटकासिम (अलवर)